Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, MONDAY, MARCH 3, 2014
(PHALGUNA 12, 1935 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 3rd March, 2014

No. 21—HLA of 2014/21.—The Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill, 2014 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 21—HLA of 2014

THE HARYANA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY (AMENDMENT) BILL, 2014

A

BILL

further to amend the Haryana Urban Development Authority Act, 1977.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Haryana Urban Development Authority (Amendment) Act, 2014. Short title.

Price : Rs. 5.00

Amendment of section 15 of Haryana Act 13 of 1977.

2. After sub-section (1) of section 15 of the Haryana Urban Development Authority Act, 1977, the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(1A) Subject to any directions given by the State Government, the Authority may dispose of any specified area/land by transferring the management and control of such area/land to an agency as per the memorandum of understanding between the Authority and such agency :

Provided that such agency may apply the terms and conditions of the allotment, rules, regulations and policies framed by the Authority as in force at the time of such transfer, for exercising management and control over the allottees of the plots in the specified area/land or for that purpose, may apply the rules, regulations and policies framed by such agency from time to time after the transfer of management and control of specified area/land, after obtaining option of such allottees of the plots.

Explanation.—For the purposes of this sub-section "agency" means a Haryana Government Agency or any local authority other than Haryana Urban Development Authority.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government has taken a decision about a decade ago that no new industrial area will be developed by Haryana Urban Development Authority (HUDA) and hence-forth industrial area(s) will be developed by Haryana State Industrial & Infrastructure Development Corporation Limited (HSIIDC). Thereafter, HUDA has not acquired any land for development of an Industrial Estate. HSIIDC has been designated as the Nodal Agency for industrial development in the State in the interest of coherence and uniformity in their planning and for the convenience of Industrial entrepreneurs.

The Cabinet Sub-Committee on Infrastructure in its meeting held on 16.6.2010 decided that the management of industrial estates developed by HUDA in Dharuhera and MIE Bahadurgarh should be transferred to HSIIDC. Financial Commissioner & Principal Secretary to Government of Haryana, Industries Department and Financial Commissioner & Principal Secretary to Government of Haryana, Town & Country Planning Department were directed to work out the modalities for transfer of industrial estates developed by HUDA at Dharuhera and MIE Bahadurgarh from HUDA to HSIIDC with all their assets and liabilities.

Pursuant to the decision of the Cabinet Sub-Committee on Infrastructure, the matter was discussed under the Chairmanship of Financial Commissioner and Principal Secretary to Government of Haryana, Town & Country Planning Department in a meeting held on 19.7.2010 wherein a Committee of Officers of HUDA and HSIIDC was constituted to work out the modalities and to examine all the issues regarding transfer of industrial estates of HUDA at Dharuhera and MIE Bahadurgarh to HSIIDC.

The Committee examined the matter and was of the view that the industrial estates may be transferred on book value. Regarding legal frame work, the Committee suggested that in order to transfer existing industrial estates belonging to HUDA to HSIIDC, section 15 of the Haryana Urban Development Authority Act, 1977 which deals with the disposal of land shall be required to be suitably amended.

Another meeting was held under the Chairmanship of Hon'ble C.M. Haryana on 12.1.2012 to review the status of transfer of industrial estates developed by HUDA to HSIIDC. In this meeting it was decided that transfer of industrial estates of HUDA to HSIIDC should not be limited to transfer of management alone but a transfer with all assets and liabilities. Therefore, the process for transfer of HUDA industrial estates to HSIIDC should be initiated immediately to complete the same in a time bound manner for which HUDA would need to complete all allottee files pertaining to each estate in all respects besides undertaking amendment(s) in the HUDA Act for incorporating the enabling provision for transfer of its industrial estates to HSIIDC. Since updation and completion of allottee files/ records of all the estates would be a time consuming process, it was felt imperative that such transfer be made in phases rather than in one go.

Initially the State Government has taken a decision to transfer the industrial estates of HUDA at Dharuhera and MIE Bahadurgarh to HSIIDC. For the implementation of above decision the present/proposed amendment in HUDA Act is a legal necessity.

BHUPINDER SINGH HOODA,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 3rd March, 2014.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2014 का विधेयक संख्या 21 - एच०एल०ए०

हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014

हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977,
को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2014, कहा जा सकता है।

1977 का हरियाणा अधिनियम 13 की धारा 15 का संशोधन।

2. हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 की धारा 15 की उप–धारा (1) के बाद, निम्नलिखित उप–धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) राज्य सरकार द्वारा दिए गए किन्हीं निदेशों के अध्यधीन, प्राधिकरण, प्राधिकरण तथा ऐसे अभिकरण के बीच सहमति–पत्र के अनुसार किसी अभिकरण को ऐसे क्षेत्र/भूमि के प्रबन्धन और नियन्त्रण को अन्तरित करते हुए किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र/भूमि का निपटान कर सकता है :

परन्तु ऐसा अभिकरण विनिर्दिष्ट क्षेत्र/भूमि में प्लाटों के आबंटितियों पर प्रबन्धन और नियन्त्रण करने के लिए ऐसे अन्तरण के समय यथा लागू प्राधिकरण द्वारा बनाए गए आबंटन के निबन्धन तथा शर्तें, नियम, विनियम तथा पॉलिसियां लागू कर सकता है या उस प्रयोजन के लिए, प्लाटों के ऐसे आबंटितियों के विकल्प प्राप्त करने के बाद विनिर्दिष्ट क्षेत्र/भूमि के प्रबन्धन और नियन्त्रण के अन्तरण के बाद समय–समय पर ऐसे अभिकरण द्वारा बनाए गए नियम, विनियम और पॉलिसियां लागू कर सकता है।

व्याख्या.— इस उप–धारा के प्रयोजनों के लिए "अभिकरण" से अभिप्राय है, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकरण से भिन्न कोई हरियाणा सरकारी अभिकरण या कोई स्थानीय प्राधिकरण।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

राज्य सरकार ने एक दशक पहले निर्णय लिया कि कोई भी औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित नहीं किया जाएगा तथा इसलिए औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एच.एस.आई.आई.डी.सी) द्वारा विकसित किया जाएगा । इसके बाद हुडा ने औद्योगिक सम्पदा के विकास के लिए कोई भूमि अर्जित नहीं की । एच.एस.आई.आई.डी.सी. को राज्य के औद्योगिक विकास के लिए तथा उद्योगपतियों की सुविधा के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

दिनांक 16.06.2010 को हुई बैठक में अवसंरचना पर कैबिनेट उप–समिति ने निर्णय लिया है कि हुडा द्वारा धारूहेड़ा तथा एम. आई. ई. बहादुरगढ़ में विकसित औद्योगिक सम्पदा का प्रबन्धन एच.एस.आई.आई.डी.सी. को अन्तरित किया जाना चाहिए जिसके लिए वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, उद्योग विभाग तथा वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग सभी परिसम्पत्तियां तथा दायित्वों सहित हुडा से एच.एस.आई.आई.डी.सी. हुडा द्वारा धारूहेड़ा तथा एम.आई.ई. बहादुरगढ़ में विकसित औद्योगिक सम्पदा के स्थानान्तरण के लिए रूपात्मकताओं को कार्यान्वित किया जाए।

अवसंरचना पर कैबिनेट उप–समिति के निर्णय के अनुसार, मामला वित्तायुक्त तथा प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 19.07.2010 को हुई इसकी बैठक में विचार विमर्श किया गया था जिसमें हुडा तथा एच.एस. आई.आई.डी.सी. के अधिकारियों की एक समिति एच.एस.आई.आई.डी.सी. से धारूहेड़ा तथा एम.आई.ई. को हुडा की औद्योगिक सम्पदा के अन्तरण के बारे में विषयों की जांच करने के लिए रूपात्मकताओं को कार्यान्वित करने के लिए गठित की गई थी।

समिति ने मामले की जांच की तथा उसका विचार था कि औद्योगिक सम्पदा की बुक वैल्यू पर अन्तरित किया जाए । विधिक रचना कार्य के सम्बन्ध में, समिति ने सुझाव दिया कि हुडा से सम्बन्धित वर्तमान औद्योगिक सम्पदा एच.एस.आई.आई.डी.सी. को अन्तरण के उद्देश्य से, हरियाणा नगरीय विकास प्राधिकारण अधिनियम, 1977 की धारा 15 जो भूमि के निपटान से सम्बन्धित है, को उचित रूप से संशोधित किया जाना अपेक्षित होगा।

दूसरी बैठक हुडा द्वारा विकसित औद्योगिक सम्पदा को एच.एस.आई.आई.डी.सी. अन्तरण की स्थिति के पुनरीक्षण के लिए दिनांक 12.01.2012 को माननीय मुख्य मन्त्री, हरियाणा की अध्यक्षता में हुई थी । इस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि हुडा से एच. एस.आई.आई.डी.सी. को औद्योगिक सम्पदा का अन्तरण केवल प्रबन्धन के अन्तरण तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि सभी परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों सहित अन्तरण किया जाना चाहिए। इसलिए, हुडा औद्योगिक सम्पदा से एच.एस.आई.आई.डी.सी. को अन्तरण के लिए प्रक्रिया को समयबद्ध रीति में उसे तुरन्त पूरा करना प्रारम्भ किया जाना चाहिए जिसके लिए हुडा को अपनी औद्योगिक सम्पदा एच.एस.आई.आई.डी.सी. को अन्तरण के लिए समर्थ बनाने वाले उपबन्ध शामिल करने के लिए हुडा अधिनियम में संशोधन (संशोधनों) करने के अलावा

प्रत्येक सम्पदा से सम्बन्धित सभी आबंटिती फाईलों को पूरा करने की आवश्यकता होगी। चूंकि सभी सम्पदाओं की आबंटिती फाईलों/अभिलेखों समापन में समय खर्च करने वाली प्रक्रिया होगी, यह वांछनीय होगा कि ऐसा अन्तरण एक बार में करने की बजाए फेसों में किया जाए।

प्रारम्भ में राज्य सरकार ने धारूहेड़ा तथा एम.आई.ई, बहादुरगढ़ की औद्योगिक सम्पदा एच.एस.आई.आई.डी.सी. को अन्तरण करने का निर्णय लिया था। उपरोक्त निर्णय के लागूकरण के लिए हुडा अधिनियम में वर्तमान संशोधन अनिवार्य है।

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्य मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ : सुमित कुमार,
दिनांक 3 मार्च, 2014. सचिव।